### एनएसयूआई ने डीयू के बुद्धिस्ट स्टडी विभाग में तोड़फोड़ की, मौरिस नगर थाने में शिकायत

# अंकिव की डिग्री मामले में सड़क पर फूटा गुस्सा

**रोष**

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता



एनएसयूआई पदाधिकारी डीयू के बाहर गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए। ● हिन्दुस्तान

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष अंकिव बसोया की कथित फर्जी डिग्री मामले को लेकर एनएसयूआई ने आर्ट्स फैकल्टी के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने बुद्धिस्ट स्टडी विभाग में हंगामा और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। बुद्धिस्ट विभाग की ओर से मौरिस नगर थाने में शिकायत दी गई है।

दोपहर करीब दो बजे एनएसयूआई के कार्यकर्ता आर्ट्स फैकल्टी के गेट के बाहर जुटे। एनएसयूआई दिल्ली मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली ने बताया कि यहां पर उन्होंने कुलपति या प्रॉक्टर से मिलने का प्रयास किया। जब डीयू प्रशासन की ओर से कोई मिलने नहीं आया तो बुद्धिस्ट विभाग की ओर चल पड़े। वहां पर भी हमें कोई नहीं मिला। वहां से आकर पटेल चेस्ट के चौराहे पर सभी छात्र अंकिव बसोया के डिग्री की जांच मामले को लेकर सड़क पर ही धरना देने लगे। पुलिस ने एनएसयूआई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, मोहम्मद अली और सौरभ यादव को मौरिस नगर थाने ले गई।

**विभागाध्यक्ष पर नहीं मिलने का आरोप :** दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि हमने विश्वविद्यालय प्रशासन और बुद्धिस्ट अध्ययन विभागाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया था। विभागाध्यक्ष प्रो केटीएस सराव ने पहले हमें मिलने का वक्त दिया था, जबकि बाद में मना कर दिया। डीयू के सुरक्षा अधिकारी और दिल्ली पुलिस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को आर्ट्स फैकल्टी से घसीटते हुए ले गई।

**पटेल चेस्ट में मार्च निकाला :** छात्रों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में पटेल चेस्ट लाल बत्ती तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे यहां मानव शृंखला बना रहे थे, तभी पुलिस हमें पकड़कर ले गई। वहां से आकर हमने डिप्टी प्रॉक्टर डॉ. अनुपम झा से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह अंकिव मामले की जांच कर रही समिति में यह मुद्दा रखेंगे।

## आईसा ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी

दिल्ली आईसा की अध्यक्ष कवलप्रीत कौर ने कहा कि डीयू कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए हमने छात्रा मार्ग पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि डीयू की तरफ से प्रॉक्टर अनुपम झा ने आंतरिक समिति की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने दो दिन का समय मांगा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल करेंगे।

## 'डीयू का रवैया गलत'

अक्षय लाकड़ा ने कहा कि हम डीयू प्रशासन के इस तरह के रवैये की भर्त्सना करते हैं। एक तरफ इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एक माह बीत जाने के बावजूद अंकिव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनएसयूआई को 15 अक्तूबर का इंतजार है जब हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई होगी।

> डीयू मामले की जांच कर रहा है। हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर रिपोर्ट अंकिव के खिलाफ आई तो उसपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आरोप गलत और झूठे साबित हुए तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
>
> –मोनिका चौधरी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, एबीवीपी

## 33 फीसदी अंक की व्यवस्था जारी रहेगी

**नई दिल्ली (का.सं.)।** केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) दसवीं के छात्रों को इस साल दी गई राहत को आगे भी जारी रखेगा। लिखित और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में 33 फीसद अंकों की व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी।

सीबीएसई की ओर से गुरुवार शाम जारी अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में अनिवार्य हुई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए लिखित और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में कुल 33 फीसद अंकों की जरूरत थी। यह सत्र 2018-19 में जारी रहेगी।

## शिवाजी कॉलेज में सांप निकला

**नई दिल्ली (प्र.सं.)।** दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में सांप दिखने से दहशत मच गई। वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को काबू में कर लिया। फिलहाल सांप को परीक्षण के लिए रखा गया है।

शिवाजी कॉलेज परिसर में बुधवार की दोपहर छात्र-छात्राओं ने एक सांप देखा। इससे वे घबरा गए। सांप को परिसर के लॉन में देखा गया था। कॉलेज प्रशासन ने इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम को दी। थोड़ी देर में ही सांप को पकड़ लिया गया।


## पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23411411, फैक्स: 011-23472550
सीआईएन: L74899DL1998PLC093073
ई-मेल: investors@petronetlng.com, वेबसाइट: www.petronetlng.com

### शेयरधारकों के लिए नोटिस

**निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि सस्पेंस खाते में बेदावेदार लाभांशों से संबंधित कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अनिवार्य हस्तांतरण**

यह नोटिस कम्पनी अधिनियम, 2013 साथ में पठित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियमों, 2016 (''नियमों'') तथा उसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुसरण में प्रकाशित कराया गया है।

यह कम्पनी के शेयरधारकों को अपने बेदावेदार/अदेय लाभांशों का दावा करने हेतु उन्हें याद दिलाने के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं, कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश को या तो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए या पात्र शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर डिविडेंड वारंट्स/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भेजा जाता है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसार, सात वर्षों की अवधि के दौरान अदेय या बेदावेदार पड़े शेष सभी लाभांशों को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि' (आई.ई.पी.एफ.) में कम्पनी को हस्तांतरित करना होगा। इसके अलावा, यथासंशोधित आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसार, हम नियमित रूप से कम्पनी की वेबसाइट पर तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर सभी अदेय या बेदावेदार लाभांशों के पूर्ण विवरण अपलोड करते हैं।

**कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) की जरूरत है कि उन सभी शेयरों को भी आई.ई.पी.एफ. के नाम में कम्पनी द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा जिनके लाभांशों का सात या अधिक अनवरत वर्षों के लिए भुगतान या दावा नहीं किया गया है।** कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आई.ई.पी.एफ. को शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की हैं और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और रिफंड) नियमों, 2016 (''नियमों'') को भी अधिसूचित किया है, जो 7 सितम्बर, 2016 को लागू हो गया है। अन्य बातों के साथ-साथ, नियमों में 'आई.ई.पी.एफ. सस्पेंस एकाउंट' को उक्त निर्दिष्ट सभी शेयरों के हस्तांतरण हेतु प्रावधान समाविष्ट हैं। कम्पनी ने उन शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते में पृथक-पृथक सूचना **दिनांक 8 अक्टूबर 2018** भेज दी हैं जिनके शेयर कथित नियमों के अधीन आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरित किए जाने के काबिल हैं। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों के विवरण साथ में उनके फोलियो नं./डीपी व क्लाइंट आईडी तथा शेयर जो आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरण के लिए नियत हैं की जानकारी को वेबसाइट **www.petronetlng.com** में अपलोड कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान लाभांश के संबंध में अदेय या बेदावेदार लाभांशों को पहले ही आई.ई.पी.एफ. को हस्तांतरित कर दिया गया है जिनका आई.ई.पी.एफ. नियमों के अनुसार आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण से शेयरधारकों द्वारा दावा किया जा सकता है।

यदि हम **दिनांक 10 जनवरी, 2019** तक उक्त कथित सूचना के अनुसार आपका दावा प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके समस्त सम्बद्ध शेयरों (चाहे वे भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित हों) बगैर कोई, अन्य सूचना दिए, उक्त अंकितानुसार वैधानिक अपेक्षा के मुताबिक, आई.ई.पी.एफ. सस्पेंस एकाउंट को कम्पनी द्वारा हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

आप कृपया ध्यान दें कि 'आई.ई.पी.एफ. सस्पेंस एकाउंट' में शेयरों के ऐसे हस्तांतरण के बाद, भविष्य के लाभांश सहित सभी भावी लाभ, जो इसके अधीन अर्जित हो सकते हैं, आई.ई.पी.एफ. में जमा करा दिए जाएंगे। आप ध्यान दें कि उक्त अंकित हस्तांतरण के बाद, **आई.ई.पी.एफ. से** धनवापसी (रिफंड) का दावा उपरोक्त नियमों के प्रावधानों का पालन करके किया जा सकता है, इस संबंध में एक लिंक, कम्पनी की वेबसाइट में इन्वेस्टर सेक्शन के अधीन दिया गया है।

आपके तत्काल संदर्भ के लिए, आई.ई.पी.एफ. प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण तथा रिफंड) नियमों, 2016 तथा उसके संशोधनों के प्रावधानों को, कम्पनी की वेबसाइट **www.petronetlng.com** के इनवेस्टर सेक्शन के अधीन उपलब्ध करवाया गया है।

**आगामी स्पष्टीकरणों या सहायता के लिए आप हमें निम्न पतों पर लिख सकते हैं:-**

| (i) श्री एस.वी. राजू, डीजीएम | (ii) श्री राजन कपूर |
|---|---|
| यूनिट: पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड<br>कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड<br>कार्वी सेलेनियम टावर बी. प्लांट 31-32, गाचीबाऊली<br>फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा<br>हैदराबाद-500032<br>ईमेल आईडी: raju.sv@karvy.com<br>**टेली.: 040-67162222/1800-345-4001** | उपाध्यक्ष-कम्पनी सचिव<br>पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड<br>वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, बाबर रोड,<br>बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001<br>ईमेल आईडी: investors@petronetlng.com<br>**टेली.: 011-23411411** |

कृते पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
ह./-
(राजन कपूर)
उपाध्यक्ष - कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10 अक्टूबर, 2018

| सदस्यगण ध्यान दें | | सदस्यों से अपील |
|---|---|---|
| **(1) 5 दिसम्बर, 2018 से भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण के लिए आग्रह की अस्वीकृति**<br>सेबी गजट अधिसूचना दिनांक 8 जून, 2018 के अनुसार रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) और कंपनी 05 दिसम्बर, 2018 से भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण हेतु कोई भी आग्रह स्वीकार नहीं करेगी। यह प्रतिबंध भौतिक शेयरों के प्रचारण या व्युत्क्रमण हेतु, प्राप्त आग्रह हेतु लागू नहीं होगा। | **(2) आपके शेयरधारण के समक्ष पेन और बैंक विवरण का अनिवार्य अद्यतनीकरण**<br>सेबी परिपत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के अनुसार वैसे शेयरधारकों जिनको खाता बही नहीं है या पैन और बैंक विवरण के संबंध में विवरण अपूर्ण है उनसे आग्रह किया जाता है कि वे बही में पंजीकरण हेतु **investors@petronetlng.com** में कंपनी/**einward.ris@karvy.com** में आरटीए के समक्ष पैन और बैंक विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें ताकि आपके द्वारा धारित निवेश उचित स्वीकृति के साथ पूर्णतः सुरक्षित हो जाएं। | **कारपोरेट शासन में हरित पहल**<br>हम पर्यावरण हेतु, हमारे हिस्से का योगदान के लिए हमारे प्रयास के समर्थन और आपके अमूल्य सहयोग की सराहना करते हैं और इसके लिए आपसे जोरदार आग्रह किया जाता है कि सदस्यों जिन्होंने अभी भी पंजीकरण नहीं कराया है/अपना ईमेल आईडी अद्यतन नहीं किया है वे इसे **investors@petronetlng.com** में कंपनी या रजिस्ट्रार और **einward.ris@karvy.com** में कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी के समक्ष अधिसूचित कर दें। |


# धर्म को आधार बना कक्षा बांटने के खिलाफ प्रदर्शन

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

**अभिभावक उग्र**

- स्कूल प्रमुख को तुरंत गिरफ्तार करने की कर रहे मांग
- निलंबन की कार्रवाई को बता रहे नाकाफी

दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय वजीराबाद में धर्म के आधार पर बच्चों को अलग-अलग कक्षाओं में बांटने का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अभिभावकों ने गुरुवार को विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर स्कूल प्रमुख को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की।

उत्तरी नगर निगम की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालय वजीराबाद के बाहर गुरुवार को सैकड़ों की की संख्या में अभिभावक जुट गए। सभी प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं, जिनमें स्कूल प्रमुख के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने व आपसी भाईचारा वाले नारे लिखे हुए थे। सभी स्कूल प्रमुख के निलंबन की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कप्तान सिंह सांगवान ने कहा कि छोटे बच्चों को धर्म के आधार पर बांटने का काम सरासर गलत है।

# गठिया का रोगी बना सकती है ऊंची हील




नई दिल्ली | हेमवती नंदन राजौरा

**लक्षण**

- जोड़ों में सूजन और दर्द
- लंबे समय तक बुखार
- मुंह और आंख में सूखापन
- थूक या कफ के साथ खून आना

**बचाव**

- पौष्टिक आहार का सेवन
- सूर्य की रोशनी में रहना
- ज्यादा चीनी और नमक से परहेज
- मोटापे पर नियंत्रण रखना।

हील वाले जूते लगातार पहनने से गठिया होने का खतरा बढ़ जाता है। एम्स के एक शोध में पता चला है कि ऊंची एड़ी की चप्पल या जूते पहनने वाली महिलाओं को गठिया का खतरा अधिक होता है।

एम्स के रूमटालजी विभाग की प्रमुख प्रोफेसर उमा कुमार का कहना है कि लगातार ऊंची एड़ी की चप्पल पहनने से चाल और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। पैर की अंगुलियों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक प्रभाव पड़ता है। ध्यान नहीं देने पर पंजों, पांव में लगातार दर्द, नसों में खिचाव, कमर दर्द, पीठ दर्द और घुटनों में दर्द की समस्या सामने आने लगती हैं।

**वजन घटने पर राहत :** मेट्रो हॉस्पिटल एवं हृदय संस्थान के रूमटालजी विभाग की वरिष्ठ डॉक्टर किरन सेठ ने बताया कि गठिया के दर्द से परेशान लोगों को वजन नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। एक किलो वजन कम होने पर घुटनों पर तीन गुना कम असर पड़ता है।

**सर्दियों में बढ़ जाते हैं मामले :** दुनिया की 22 से 33 फीसदी आबादी जोड़ व मांशपेशियों की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रोफेसर उमा कुमार का कहना है कि सर्दियों में गठिया के मामले में 20 से 30 फीसदी तक वृद्धि होती है।


